

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन,
कार्यप्रमंडल-१, बेतिया एवं कार्यप्रमंडल-१, दरभंगा।

पटना, दिनांक-.....

विषय:-

राज्य में चालू कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजना अन्तर्गत योजना का क्रियान्वयन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के माध्यम से कराने के लिए वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-३०३४, दिनांक २९/०३/१६ के आलोक में कुल रु० १३२.०० लाख (एक करोड़ बत्तीस लाख) मात्र का आवंटन।

महाशय,

उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कब्रिस्तानों की घेराबंदी योजनान्तर्गत पूर्व से चालू योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०- ३०३४, दिनांक २९/०३/१६ के आलोक में वर्ष २०१५-१६ में निम्नांकित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडलों के कार्यपालक अभियंताओं को उनके सम्मुख कॉलम-५ में अंकित राशि का आवंटन की स्वीकृति दी जाती है:-

क्र० सं०	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के कार्यप्रमंडलों के नाम	कार्यप्रमंडल मुख्यालय का नाम	वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में पूर्व में आवंटित राशि (रु० लाख में)	वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में वर्तमान आवंटित राशि (रु० लाख में)	कुल आवंटित राशि (रु० लाख में)
१	२	३	४	५	६
१	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-१	बेतिया	५०.००	७०.००	१२०.००
२	स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्यप्रमंडल-१	दरभंगा	३००.००	६२.००	३६२.००
		योगफल	३५०.००	१३२.००	४८२.००
(कुल आवंटन - एक करोड़ बत्तीस लाख)					

२. योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने तथा कार्य की गुणवत्ता एवं प्रगति की समीक्षा करने का दायित्व संबंधित जिला पदाधिकारी का होगा। कार्यस्थल पर सुरक्षा एवं विधि व्यवस्था का संधारण जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से करेंगे।

३. यह राशि वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में मुख्य शीर्ष ४२३५-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-६० अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-लघुशीर्ष-०५१-निर्माण उपशीर्ष-०१०१ कब्रिस्तानों की घेराबंदी हेतु मांग सं०-२२, प्राथमिक ईकाई संख्या-५३-०१ मुख्य निर्माण कार्य तथा राज्य योजना स्कीम-HOM-५४२५ एवं विपत्र कोड संख्या-पी०-४२३५६००५१०१०१ के अन्तर्गत विकलनीय होगी।

४. यह राशि वर्तमान वित्तीय वर्ष २०१५-१६ में उपबंधित योजना उद्ध्य के अन्तर्गत आवंटित की जा रही है।

५. इसके नियंत्री पदाधिकारी, प्रधान सचिव, गृह विभाग होंगे।

P.T.O. ...

me

6. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्यप्रमंडल के कार्यपालक अभियंता होंगे। वे राशि की निकासी हेतु वित्त विभाग के परिपत्र सं०—4989, दिनांक 16.05.2013 में निहित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

7. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी।

8. उक्त राशि की निकासी एवं व्ययन में वित्त विभाग के स्थायी अनुदेश सं०—2561, दिनांक 17.04.98 का अनुपालन किया जायेगा।

9. संबंधित कार्यपालक अभियंता आवंटित राशि से संबंधित व्यय विवरणी और उपयोगिता प्रमाण पत्र नियमित रूप से गृह विभाग को जिला पदाधिकारी के माध्यम से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

10. संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेशित किया जाता है कि आवंटित राशि को CTMIS में ऑनलाईन कराते हुए उसकी निकासी सुनिश्चित करेंगे।

11. प्रधान महालेखाकार, बिहार एवं झारखंड के पत्रांक-448, दिनांक 26.02.2003 के अनुसार इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. आवंटित राशि के विरुद्ध व्यय की गई राशि का लेखा सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराते हुए ससमय विभाग को प्रतिवेदन भेजा जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव।

पटना, दिनांक -

फैक्स

ज्ञापांक:-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण(बेतिया) एवं दरभंगा/जिला कोषागार पदाधिकारी, बेतिया एवं दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- संयुक्त निदेशक, गृह (आरक्षी) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक:-

पटना, दिनांक - 29-3-16

प्रतिलिपि:- आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के विशेष सचिव।